आदेश

नम्बर–3 अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में श्री जवाहर सिंह परिहार पुत्र श्री गोपाल सिंह परिहार, निवासी ग्राम असौं, विकास खण्ड काकोट, जनपद बागेश्वर के द्वारा दायर नामांकन पत्र एवं सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों/संलग्नकों का अध्ययन किया गया तथा साथ ही नामांकन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र की भी सम्यक विवेचना की गई।

नामांकन पत्रों की संवीक्षा की निर्धारित तिथि दिनांक 29.01.1998 को नामांकन की संवीक्षा के दौरान अभ्यर्थी श्री जवाहर सिंह परिहार को तीन बार पुकारा गया किन्तु न तो अभ्यर्थी स्वयं एवं न ही उनका कोई प्रतिनिधि संवीक्षा के दौरान उपस्थित आया।

अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ भाग–2 में दस प्रस्तावकों के नाम निर्वाचन नामावली के अनुसार उपलब्ध करवाये गये हैं तथा अभ्यर्थी श्री जवाहर सिंह परिहार नं. 3 अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु आयु सम्बन्धी निर्धारित अर्हता को भी पूर्ण करता है। उसकी आयु नामांकन पत्र के अनुसार 39 वर्ष है। अभ्यर्थी श्री जवाहर सिंह परिहार द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निक्षेप की धनराशि रू. 10,000–00 विधिवत जमा की गई है।

अभ्यर्थी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–8 के अन्तर्गत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें धारा–8 के अन्तर्गत कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्ध पर निर्हता सम्बन्धी सूचना शपथ पत्र के माध्यम से मांगी गई है।

श्री जवाहर सिंह परिहार के भापथ पत्र की समीक्षा/परीक्षण करने पर निम्न तथ्य उजागर हुये है, जो भापथकर्ता द्वारा अपने भापथ–पत्र में उल्लिखित किये गये हैं:–

1. मु.अ.सं. 36/75 अन्तर्गत धारा 394 ता.हि.–दोशसिद्ध।

2. मु.अ.सं. 2/76 अन्तर्गत धारा 452/352 ता.हि. दोश सिद्ध छः माह का कारावास।

3. मु.अ.सं. 38/75, अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम–दोश सिद्ध।

4. मु.अ.सं. 33/86 अन्तर्गत धारा 302/34,307/34, एवं 379 भा.द.वि. आजीवन कारावास। इस वाद में श्री परिहार को मा. सत्र न्यायालय द्वारा धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा–307 में सात वर्श के कारावास एवं धारा 379 में एक वर्श के कारावास से दण्डित किया गया है।

श्री जवाहर सिंह परिहार को विभिन्न मामलो में विभिन्न प्राविधानों के लिये उनके भापथ पत्र के अनुसार दोशसिद्ध किया जा चुका है। अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्राविधानों के तहत श्री परिहार का नं. 03 अल्मोडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, अभ्यर्थी के रूप में निर्धारित अर्हता का परीक्षण किया जाना आव यक एवं उपयुक्त होगा।

पत्रावली की समीक्षा एवं ापथ पत्र के परीक्षण से यह स्पश्ट है कि श्री जवाहर सिंह परिहार के विरूद्ध मु.अ. संख्याः 36/75 अन्तर्गत धारा 394 ता.हि. में मा. मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, अल्मोडा द्वारा दोशसिद्ध के आदे ा पारित किये गये हैं। अपराध संख्याः 38/75 अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में भी उन्हें विद्वान मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अल्मोडा द्वारा दोशसिद्ध किया गया है, अपराध संख्या 2/76 अन्तर्गत धारा 452, 352 ता.हि. में भी उन्हें विद्वान मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट द्वारा दोशसिद्ध घोशित किया गया है जिसमें भी वह सजा काट चुके है। सत्र परीक्षण संख्या 33/86 अन्तर्गत धारा 302/34, 307/34 एवं धारा 379 ता.हि. में मात्र सत्र न्यायाधी ा अल्मोडा द्वारा श्री जवाहर सिंह परिहार को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं धारा 307 में 7 वर्श के कारावास तथा धारा 379 में एक वर्श के कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकरण में श्री परिहार मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से जमानत पर रिहा हुये हैं एवं यह मामला मा. उच्च न्यायालय में लम्बित है।

अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध भापथ पत्र के परीक्षण एवं संवीक्षा के उपरान्त तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्री जवाहर सिंह परिहार द्वारा अपने नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत निर्वाचन आयोग के निर्दे ाानुसार प्रस्तुत किये गये संलग्नकों के अध्ययन से स्पश्ट है कि यह प्रकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा 3 के अन्तर्गत आता है, जिसमें स्पश्ट किया गया है कि ''कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिश्ट किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिये सिद्ध दोश ठहराया गया है, ऐसी दोशसिद्ध की तारीख से निर्हरित होगा और उसे छोडे जाने से 6 वर्श की अतिरिक्त कालावधि के लिये निर्हित बना रहेगा।''

अभ्यर्थी श्री जवाहर सिंह परिहार के नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत भापथ पत्र की समीक्षा/परीक्षण करने एवं सुसंगत नियमों/अधिनियमों की विवेचना के उपरान्त मैं इस निश्कर्श पर पहुॅचा हूॅ कि लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (3) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति कारावास की अवधि काटे जाने के उपरान्त 6 वर्श की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त ही निर्वाचन में भाग लेने हेतु अर्ह माना जायेगा। अभ्यर्थी श्री जवाहर सिंह परिहार के विरूद्ध मु.अ.स. 376/75, 2/76 एवं 38/75 में पारित दण्डादेशों में उनके द्वारा काटी गई कारावास की अवधि अर्थात उनके छूटने की तिथि से 6 वर्श की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण, इन मामलो के कारण उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है किन्तु मु.अ.सं.: 33/86 अन्तर्गत धारा 302/34, 307/34 एवं 379 भा.द.वि. में माननीय सत्र न्यायाधी ा, अल्मोडा द्वारा दिनांक 1–9–87 को पारित दण्डादे ा, जिसके विरूद्ध श्री परिहार वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा किये गये हैं, के सम्बन्ध में उनकी पात्रता के प्रश्न पर सम्यक विवेचना किया जाना आव यक है। इस सम्बन्ध में नामांकन पत्र के अध्ययन तथा अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये भापथ पत्र में प्रस्तुत तथ्यों के परीक्षण एवं माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में पारित व्यवस्थाओं तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्दे ाों एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद–141 एवं 324 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदे ा एवं दी गई व्यवस्थाओं को सम्पूर्ण भारतवर्श में कानून के रूप में

लिये जाने के निर्दे ा दिये गये हैं, साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्दे ाों को निर्वाचन के लिये विधिक स्वरूप एवं मान्यता प्रदान की गई है।

मैं इस विधिक परीक्षण से सन्तुश्ट हूॅ कि छोडे जाने की तिथि के भाब्द को धारा–8 में स्पश्ट नहीं किया गया है लेकिन मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा श्री सचिन्द्रनाथ त्रिपाठी बनाम दूधनाथ (84 इलेक्शन लॉ रिपोर्ट) में पारित व्यवस्था – “The disqualification which is an automatic effect of conviction, springs up right at the time of pronouncement of conviction, which finding is yet to be reserved or set aside......

It is to be seen as to what the effect of bail, granted to the respondent before the date of filing the nomination. If no bail is granted and the execution of the sentence is not suspended by the stay orders, then the accused will remain in jail and the only effect of granting bail is that he is released from the confinement. Grant of bail does not interfere with the finding of conviction and that cannot render the disqualification, automatically emerging from conviction, inoperative"

तथा मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा पुरूषोत्तम लाल कौशिक बनाम विद्याचरण शुक्ला (66 इलैक्शन लॉ रिपोर्ट्स–110) में पारित व्यवस्था :–

"It is obvious that the decision of the returning officer must depend on facts as they existed on the date of scrutiny since it is beyond human comprehension to visualise subsequent events and to base the decision of validity of nominations on the unknown future events. The improper rejections of a nomination within the meaning of expression used in section 100 (1) (c) and improper acceptance in section 100 (1) (d) (1) of the R. P. Act, 1951, must, therefore, mean whether the rejection or acceptance of the nomination by the Returning Officer was improper with reference to section 36 (2) (a) on the basis of facts existing on the date of scrutiny which alone where available to him and where relevant for deciding the validity on the nominations.

The question now is of the effect of suspension of the sentence by the appellate courts. Section 389 Cr.P.C. which gives this power to the first court till filling of the appeal and than to the appeallate courts enables suspension of execution of the sentence or order appealed from. It is only the execution which is suspended and nothing more with the result that the sentence awarded is not to be suffered during the pendency of the appeal even though it subjects and the appellant is released on bail. There is no indication in section 8 (2) of the R. P. Act that the disqualification thereunder remains in abeyance during the pendency of appeal against conviction. On the other hand section 8 (3) gives the contrary indication by laying down an exception only in case of sitting members. Suspension of execution of the sentence or order and grant of bail under section 389 Cr. P. C. has the only effect of avoiding sufferance of sentence pending appeal, but then in order to attract the disqualification under section 8 (2) it is not necessary to suffer any part of the sentence awarded. This has also been held by the Supreme Court in Sarat Chandra's case (Supra). This decision also indicates that suspension of sentence does not wipe out the conviction and the sentence. It was held that a reprieve is a temporary suspension of the sentence which does not wipe it out, all that it does is to have and effect on the execution of the sentence. If suspension of sentence during pendency of an appeal does not have the effect of wiping it out, it is difficult to accept the contention that the disqualification under section 8 (2) remain arrested or in abeyance during operation of the suspension order pending appeal against the conviction and sentence. This is more so, when in section 8 (2) there is nothing to support this view and section 8 (3) gives contrary indication."

एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.09.1994 में दी गई व्यवस्थाः—

"Despite suspension of the sentence and release on bail the order of conviction remains in operation holding the person guilty of such offence or offences for which he has been awarded sentence of imprisonment for not less than two years, as such the disqualification as provided under sub section (3) of section 8 of the Act continues, In order to attract disqualification under sub section (3) of section 8 of the Act, the execution of the order of conviction and sentence of imprisonment or any part thereof is not required. What is necessary is the actual conviction and sentence imposed by the Court for not less that two years, which order remains in operation despite stop put to execution of the order of sentence during the pendency of appeal by releasing the convicted person on bail and suspending the sentence awarded to him.

After examining the legal position this Court has come to the conclusion that then the appellate Court passes an order of suspension and / or release on bail on a convicted person, the order of his conviction still remains in existence and the disqualification suffered by him as a result of conviction and sentence, for a period of not less than two years as envisaged under sub section (3) of section–8 of the Act is not automatically suspended and it continues to be in operation, and"

में निर्देश दिये गये हैं कि दोषसिद्धि के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा अपना नामांकन भरने से पूर्व यदि सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो उससे उसे दोषसिद्धि किये ागये निर्णय पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल उसके दोषसिद्धि आदेश के कियान्वयन को स्थगित किया जाता है। इसका यह कतई अर्थ नहीं होगा कि दोषसिद्धि के कारण जो अनर्हता उस पर लागू है उस पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। आज संवीक्षा की तिथि को मु.अ.स. 33/86 अन्तर्गत धारा 302/34, 307/34 एवं 379 ता.हि. जिसमें अभियुक्त को धारा 302 ता.हि.में आजीवन कारावास, धारा 307 में सात वर्श की कारावास एवं धारा 379 ता.हि. में एक वर्श के कारावास का दण्ड दिया गया है तथा माननीय उच्च

न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 10.09.1987 को जमानत पर रिहा किया गया है। इस तिथि से 6 वर्श माना जाना गलत होगा तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं मा. उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के प्रतिकूल होगा।

उपरोक्त तथ्यों एवं नामांकन पत्र तथा उसके साथ संलग्न भापथ पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा तद्सम्वत् सुसंगत नियमों व अधिनियमों की सम्यक विवेचना के उपरान्त श्री जवाहर सिंह परिहार का नामांकन पत्र नं.–03 अल्मोडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है एवं उनके आवेदन पत्र को उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में निरस्त किया जाता है।

इस आद ा की प्रति सम्बन्धित अभ्यर्थी को उपलब्ध करा दी जाय।

<u>दिः 29–01–1998।</u>

(संजय भूसरेड्डी)
रिटर्निंग आफीसर
नं. 3, अल्मोड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र,
अल्मोड़ा (उ.प्र.)